न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मारिंगा राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या:— 76 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. रामसिंह पुत्र भुरसिंह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 133 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 03/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 128, 131, 133 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम साण्डिया तहसील सोजत में प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त का खसरा संख्या 2065 / 924 रकबा 0.0400 हैक्टर आया हुआ स्थित है। पूर्व में उक्त कृषि भूमि का नक्शा लढ्ढा में तरमीम किया हुआ नहीं था। प्रार्थी की अन्य खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1008 / 2 रकबा 0.0400 हैक्टर आया हुआ स्थित है। उक्त दोनो कृषि भूमि पड़ौस में ही स्थित है। खसरा संख्या 2065 / 924 एवं खसरा संख्या 1008 / 2 का मौके पर प्रार्थी का कब्जा अनुसार नजरी नक्शा पेश किया गया है। जिसमे नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग से भू भाग पर प्रार्थी का कब्जा है। जो आवंटन सुदा एवं खरीदसुदा भूमि है। लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान माफिक कब्जा अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के मौके पर कब्जा सुदा भूमि की तरमीम राजस्व रेकर्ड नक्शा में किया जाना आवश्यक है। हाल ही में सेग्रीगेशन के दौरान सभी खसरान का राजस्व रेकर्ड नक्शा में ऑनलाईन तरमीम की गई, उस दरम्यान प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 2065 / 924 का मौके पर वर्षो पुराने कब्जे के आधार तरमीम नहीं किया गया एवं जिस स्थान पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है, उस स्थान पर नक्शे में तरमीम कर दिया गया, जो गलत तरमीम हुई है। प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग के स्थान पर तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम साण्डिया तहसील सोजत खसरा संख्या 2065 / 924 एवं खसरा संख्या 1008 / 2 की तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम किया जाने एवं सेग्रीगेशन के दौरान की गई तरमीम को नक्शे से हटाये जाने के आदेश पारित किया जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 2065/924 वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार रामसिंह 1/2 हुकमसिंह 1/2 पिता भूरसिंह कौम राजपुरोहित सा० देह रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु० दर्ज है। उक्त खातेदारान को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, सोजत के आदेश कमांक/राजस्व/407-408 दिनांक 26.03.1991 द्वारा लीज पर आवंटित हुई, जिसका नामा० संख्या 582 दर्ज हुआ है। राजस्व रेकर्ड वर्तमान नक्शानुसार जहाँ तरमीम है उसके भिन्न स्थान पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी पूर्व से ही कब्जानुसार ही काबिज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में वक्त सेग्रीगेशन त्रुटिवश तरमीम काबिज स्थान से भिन्न जगह इन्द्राज हो गये जिसका नजरी नक्शा संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1008/2 वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार रामसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा० देह खातेदार रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु० वाडा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान 05.06.2003 द्वारा खरीद की हुई है। जिसका नामा० संख्या 1328 दर्ज हुआ है। वर्तमान राजस्व नक्शानुसार खसरा संख्या 1008/2 की तरमीम व खातेदार का कब्जा भिन्न जगह है। खातेदार शुरूआत से ही अपने मौके कब्जे पर ही काबिज है। वक्त सेग्रीगेशन त्रुटिवश 1008/2 की तरमीम खातेदार के कब्जे से भिन्न हो गयी है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। अतः उपरोक्तानुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित हैं, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम साण्डिया तहसील सोजत खसरा संख्या 2065/924 एवं खसरा संख्या 1008/2 की तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम किया जाने एवं सेग्रीगेशन के दौरान की गई तरमीम को नक्शे से हटाये जाने के आदेश पारित किया जाने का निवेदन किया है। जवाव बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि के ऑनलाईन रोग्रीकेशन के समय राजस्व नक्शे में तरमीम की त्रुटि होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 133 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम साण्डिया तहसील सोजत खसरा संख्या 2065/924 रकबा 0.0400 है0 एवं खसरा संख्या 1008/2 रकबा 0.0400 है0 की तरमीम पटवारी रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। पटवारी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं पटवारी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)